

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
रतलाम (म.प्र.)

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001
सह-चिकित्सीय (पैरामेडिकल) पाठ्यक्रम

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284225

ईमेल :- deanratlam@gmail.com

वेबसाईट :- www.gmcratlam.org



निर्देशिका एवं आवेदन पत्र
शैक्षणिक सत्र 2024-25

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.)

Anita Mutha
डॉ. अनिता मूथा DEAN & CEO
Mr. L.N.P. Govt. Medical College,
Ratlam (M.P.)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शा.स्व.चि.महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)

डॉ. कोमल सिंह लिखार
पाठ्यक्रम प्रभारी अधिकारी
डॉ. के. एस. लिखार
प्रभारी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम
शा.स्व.चि. महाविद्यालय
रतलाम (म.प्र.)

डॉ. गौरव सक्सेना
पाठ्यक्रम नोडल अधिकारी एवं समन्वयक
सह. प्राध्यापक
माइक्रोबायोलॉजी विभाग
शा.स्व.चि. महावि., रतलाम (म.प्र.)

// संदेश //

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम मध्यप्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई जिसे शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है इस संस्थान में विभिन्न स्नातक एवं स्नाकोत्तर मेडिकल विषयों के छात्रों को सतत् प्रशिक्षण दिया जा रहा है।



सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत कमशः स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र का प्रबंधन एवं संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है चिकित्सा शिक्षा एवं सह-चिकित्सा का विस्तार करते हुए वर्ष 2020 में विभिन्न सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये एवं आगामी वर्षों में बी.एस.सी. नर्सिंग व बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किये जायेंगे।

चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन एवं संचालन सह-चिकित्सीय कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टॉफ) के बिना संभव नहीं है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में संचालित सह-चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी आकांक्षियों को उज्ज्वल भविष्य के लिये बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

डॉ. अनिता मूथा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

// संदेश //

डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, रतलाम में आपका स्वागत है। अस्पताल अधीक्षक के रूप में इस प्रतिष्ठित संस्थान का नेतृत्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। यह संस्थान उत्कृष्ट रोगी देखभाल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। 19 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण करने के बाद से मेरा उद्देश्य उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है, साथ ही हमारे मेडिकल छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए एक सहायक और पेशेवर वातावरण बनाए रखना है।



हमारा अस्पताल इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, जो न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि राजस्थान और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों के मरीजों की भी सेवा करता है। विविध जनसंख्या, विशेष रूप से जनजातीय समुदाय की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारा संकल्प है कि हम समाज के सभी वर्गों को सुलभ, सस्ती और उन्नत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करें।

हमारे सम्मानित संकाय और समर्पित चिकित्सा टीम के मार्गदर्शन में, हम लगातार अत्याधुनिक ढांचे, नवीनतम चिकित्सा तकनीक और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अस्पताल आधुनिक निदान और उपचार सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे हम जनसंख्या की बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

हमारे चिकित्सा महाविद्यालय का विस्तार, नर्सिंग कॉलेज और क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना के साथ, हमें एक प्रमुख तृतीयक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में सशक्त बना रहा है। ये नई सुविधाएं हमें विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ अनुसंधान और शिक्षा के लिए भी एक सशक्त वातावरण प्रदान करती हैं।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में हम करुणामय रोगी देखभाल और शैक्षणिक उत्कृष्टता के समन्वय पर गर्व करते हैं। हमारा संकल्प केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि हम जनस्वास्थ्य जागरूकता, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों और भविष्य के स्वास्थ्य पेशेवरों के निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं।

आगामी समय में, मेरा दृष्टिकोण है कि हम नवाचार, कार्यकुशलता और मजबूत नैतिक मूल्यों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उन्नत करें। हमारे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और छात्रों के सामूहिक प्रयासों से हम गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और रोगी देखभाल में नए मानदंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैं आप सभी से इस प्रयास में सहभागिता की अपील करता हूं, ताकि हम एक स्वस्थ समाज और चिकित्सा विज्ञान के उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें।

डॉ. प्रदीप मिश्रा

अस्पताल अधीक्षक

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

// संदेश //

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम मध्यप्रदेश राज्य देश का एक अत्यंत गौरवमयी परंपरा को निभाने वाला संस्थान है जिसे चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है। इस संस्थान में विभिन्न स्नातक एवं स्नाकोत्तर मेडिकल विषयों के छात्रों को सतत् प्रशिक्षण दिया जाता है।



चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी जिसमें 150 एम.बी.बी.एस. सीटों की मान्यता प्राप्त हुई थी। इस श्रृंखला में 2020 से सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र बी.एम.एल.टी.-20, डी.एम.एल.टी.-20, ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफ्रैक्शन-10, ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन-10, एनेस्थिसिया टेक्नीशियन-10, ऑर्थो टेक्नीशियन-10 का संचालन विभिन्न सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये थे। इस वर्ष संस्थान में एक स्नातक, दो डिप्लोमा, तीन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में संस्थान में शामिल होने वाले छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्वागत करता हूँ। मुझे यकीन है कि युवा स्वास्थ्य देखभाल पेशे में लगातार अपने ज्ञान और कौशल में सुधार करेंगे और रोगियों की प्रभावी देखभाल प्रदान करेंगे। संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी आकांक्षियों को उज्ज्वल भविष्य के लिये बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

डॉ. कोमल सिंह लिखार
प्रभारी सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम
डॉ. एल.एन.पी. जी.एम.सी. रतलाम (म.प्र.)

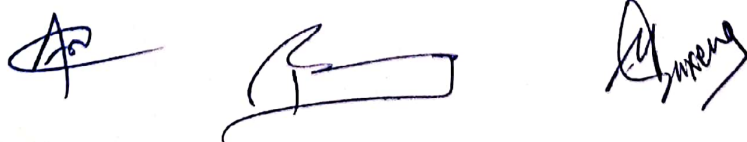
सह-चिकित्सीय (पैरामेडिकल) स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम
(स्ववित्त-पोषित)

महत्वपूर्ण तिथियाँ

1.	12-08-2025	नियम-निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट www.gmcratlam.org पर उपलब्ध होने की तिथि
2.	25-08-2025 सायं 5:00 बजे तक	भरे हुए आवेदन पत्र GMC Ratlam में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि
3.	29-08-2025	मेरिट सूची की घोषणा (वेबसाइट www.gmcratlam.org पर तथा संस्था के नोटिस बोर्ड पर)
4.	30-08-2025	GMC Ratlam में अंतरिम (Provisional) मेरिट सूची से संबंधित किसी भी प्रश्न या सुझाव को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का समय सायं 05:00 बजे तक
5.	01-09-2025	प्रवीण्य सूची अनुसार काउंसलिंग शेड्यूल की घोषणा
प्रवेश के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग शेड्यूल (आवेदक को योग्यता सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों और फीस के साथ काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य है।)		
5 i.	प्रथम चरण 02-09-2025 से 04-09-2025 (प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)	स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउंसलिंग (स्कूटनी एवं आवंटन) रजिस्ट्रेशन प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक
5 ii.	06-09-2025	प्रथम चरण काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों की सूचना (www.gmcratlam.org)
5 iii.	द्वितीय एवं तृतीय चरण 08-09-2025 से 10-09-2025 (प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)	स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउंसलिंग (स्कूटनी एवं आवंटन) रजिस्ट्रेशन प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक
5 iv.	11-09-2025	तृतीय चरण काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों की सूचना (www.gmcratlam.org)
5 v.	मॉप अप राउंड 13/09/25 (प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)	स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक
		(स्कूटनी एवं आवंटन)
6.	22-09-2025	प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय/म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद्/राज्य शासन द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार

नोट :-

- उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन की सूचना वेबसाइट www.gmcratlam.org पर प्रसारित की जाएगी।
- पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारी के लिए वेबसाइट www.gmcratlam.org पर नियमित रूप से अवलोकन करें। पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई व्यक्तिगत कॉल लेटर सूचना जारी नहीं की जाएगी। नियमों/विनियमों/सीट विवरण में परिवर्तन की सूचना पृथक से न दी जाकर वेबसाइट एवं संस्था के नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जावेगी।
- रजिस्ट्रेशन समयावधि उपरांत किसी भी आवेदक को काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।



सह-चिकित्सीय (पैरामेडिकल) स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र
(स्ववित्त) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

आवेदन शुल्क :-

आवेदक को आवेदन पत्र का शुल्क राशि रुपये 500/- (सामान्य वर्ग) एवं रुपये 300/- (आरक्षित वर्ग) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। डिमाण्ड ड्राफ्ट **New Government Medical College Autonomous Society Ratlam** के नाम जो की **State Bank of India, Government medical college Ratlam Branch IFSC Code – SBIN0061542** में देय होगा। बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न नहीं होने पर आवेदन-पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम एवं पिता का नाम लिखना सुनिश्चित करें।

निर्धारित समय अवधि में प्राप्त आवेदन शुल्क :-

सामान्य वर्ग हेतु: रु 500/-
आरक्षित वर्ग हेतु: रु 300/-

नोट :-

- 1- आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcratlam.org पर दिनांक 12-08-2025 से 25-08-2025 तक उपलब्ध होंगे। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र "शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001" के पते पर डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है अथवा स्वतः कार्यालय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में आकर भी जमा करा सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में **पैरामेडिकल पाठ्यक्रम 2024-25 में प्रवेश हेतु आवेदन** लिखना आवश्यक होगा, एवं आवेदन फार्म पर पाठ्यक्रम व आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी को भी लिखना अनिवार्य है। केवल दिनांक 25-08-2025 सायं 5:00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकृत किए जाएंगे। दिनांक 25-08-2025 सायं 5:00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।
- 2- आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक अंक सूचियों एवं प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3- काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों पर उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होकर गठित समिति के समक्ष अपना पाठ्यक्रम चयन कर पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश संबंधी दावा समाप्त माना जावेगा।
- 4- आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
- 5- समस्त पाठ्यक्रमों में आवेदन हेतु एक ही आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करना होगा।





पैरामेडिकल पाठ्यक्रम समन्वय समिति

- | | |
|---|----------------------|
| 1. डॉ. कोमल सिंह लिखार, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग | — प्रभारी अधिकारी |
| 2. डॉ. गौरव सक्सेना, सह-प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग | — नोडल अधिकारी |
| 3. डॉ. आर.सी ठन्ना, सहायक प्राध्यापक, बायोकेमिस्ट्री विभाग | — सहायक नोडल अधिकारी |

संबंधित चिकित्सालय एवं अधीक्षक

शा.स्व.चि.महा. अस्पताल (अधीक्षक)

: डॉ. प्रदीप कुमार मिश्रा

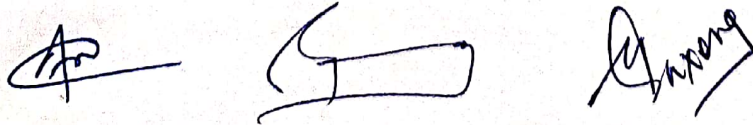
संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष

एनाटॉमी विभाग
फिजियोलॉजी विभाग
बायोकेमेस्ट्री विभाग
पैथोलॉजी विभाग
माइक्रोबायोलॉजी विभाग
नेत्ररोग विभाग
सर्जरी विभाग
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
अस्थिरोग विभाग
एनेस्थीसिया विभाग

: डॉ. जितेन्द्र गुप्ता
: डॉ. जगदीश चन्द्र हुन्डेकरी
: डॉ. मनोज पालीवाल
: डॉ. कोमल सिंह लिखार
: डॉ. प्रफुल्ल सोनगरा
: डॉ. रिशेन्द्र सिंह सिसौदिया
: डॉ. नीलम चार्ल्स
: डॉ. रेखा विमल गुप्ता
: डॉ. नितिन किराडिया
: डॉ. शैलेन्द्र डावर

पाठ्यक्रम, विभागीय प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाठ्यक्रम समन्वयक
1.	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन (डिग्री कोर्स)	एनाटोमी	डॉ. राजेन्द्र सिंगरोले	डॉ.पुनीत शर्मा
		फिजियोलॉजी	डॉ. जगदीश चन्द्र हुण्डेकरी	डॉ. राहुल मित्तल
		बायोकेमेस्ट्री	डॉ.मनोज पालीवाल	डॉ. आर.सी ठन्ना
2.	मेडिकल लेब टेक्नीशियन (डिप्लोमा कोर्स)	पैथोलॉजी	डॉ.के.एस.लिखार	डॉ.नेहा बंसेरिया
		माइक्रोबायोलॉजी	डॉ.प्रफुल्ल सोनगरा	डॉ.गौरव सक्सेना
3.	ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफ्रैक्शन (डिप्लोमा कोर्स)	ऑप्टेल्मोलॉजी	डॉ. रिशेन्द्र सिंह सिसोदिया	डॉ. मधुबाला गुबरेले
4.	एनेस्थीसिया टेक्नीशियन (सर्टिफिकेट कोर्स)	एनेस्थीसिया	डॉ.शैलेन्द्र डावर	डॉ.उत्सव शर्मा
5.	ओ.टी. टेक्नीशियन (सर्टिफिकेट कोर्स)	सर्जरी	डॉ.नीलम चार्ल्स	डॉ.प्रवीण सिंह बघेल
6.	ऑर्थो टेक्नीशियन (सर्टिफिकेट कोर्स)	ऑर्थोपिडिक्स	डॉ.नितिन किराडिया	डॉ. विजेन्द्र डामोर





COURSES DESCRIPTION

DEGREE COURSES

1. Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT):- 3 Years & 6 months Compulsory Practical Training

Bachelor in Medical Laboratory Technology is 3 years degree course which deals with detection, diagnosis and management of diseases with the help of clinical laboratory tests. Medical lab technology is the science that is involved in bio-chemical, microscopic, immunological & bacteriological diagnostic analysis of human fluids, like-urine, blood, stool, sputum, peritoneal fluid, CSF and other specimens.

SCOPE

After Completing the course students will be able to work in:-

- Hospital Clinics
- Health centers
- Pathology lab
- Pharma companies
- Blood Bank
- Minor emergency centers
- Forensic medicine laboratories

DIPLOMA COURSES

2. Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT):- 2 Years & 3 months Compulsory Practical Training

Medical lab technology is the science that is involved in bio-chemical, microscopic, immunological & bacteriological diagnostic analysis of human fluids, like-urine, blood, stool, sputum, peritoneal fluid, CSF and other specimens.

SCOPE

After Completing the course student will be able to work in:-

- Hospital Clinics
- Health centers
- Pathology lab
- Pharma companies
- Blood Bank
- Minor emergency centers
- Forensic medicine laboratories





3. Diploma in Optometrist refraction :- 2 Years & 3 months Compulsory Practical Training

Optometrist refractionist is a person who works with an ophthalmologist. They help ophthalmologist in care for patients by taking history, performing various technical procedures, tests refractions of eyes. They provide the ophthalmologist with important information to help in correction of sight.

SCOPE

After Completing the course students will be able to work in:-

- Eye Clinic Setups
- Eye Hospitals
- Medical Colleges
- Optical Companies

CERTIFICATE COURSES

4. Certificate Course in Anesthesia Technician :- 1 Year & 3 months Compulsory Practical Training

It is a certificate level course in specialization in anesthesia. Anesthesia technicians are allied health care professionals. An anesthesia technician takes care of anesthesia administration as well as monitoring and care of patients.

SCOPE

After Completing the course students will be able to work in:-

- Work in the areas of ICU/ICCU
- Emergency department
- Surgical wards and operation theatre

5. Certificate Course in Operation Theatre Technician :- 1Year & 3 months Compulsory Practical Training

An O.T. technician helps in pre- operative care of operation theatre like making the apparatus ready for a particular operation, autoclaving, OT technician are also responsible to make the necessary arrangement during the operation also.

SCOPE

After Completing the course students will be able to work in:-

- Hospitals/Nursing homes
- Corporate hospitals
- Medical colleges etc.



6. Certificate Course in Ortho Technician :- 1Year & 3 months Compulsory Practical Training

Ortho technician assist the orthopedic surgeon during close reduction of dislocated joints & fracture of bones and help in plaster of fractured bone.

SCOPE –

After Completing the course students will be able to work in:-

- Hospitals/Truma Centers
- Corporate hospitals
- Medical colleges etc.



डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25)

नियम एवं निर्देश

A. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या :-

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीट्स
स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम			
1.	बैचलर ऑफ मेडिकल लेब टेक्नीशियन (BMLT)	03 वर्ष	20
डिप्लोमा पाठ्यक्रम			
1.	मेडिकल लेब टेक्नीशियन (DMLT)	02 वर्ष	20
2.	ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफ्रेक्शन्स	02 वर्ष	10
सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम			
1.	एनेस्थीसिया टेक्नीशियन	01 वर्ष	10
2.	ओ.टी. टेक्नीशियन	01 वर्ष	10
3.	ऑर्थो टेक्नीशियन	01 वर्ष	10

B. सीटों का आरक्षण—म.प्र. शासन नियमानुसार पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध सीटों में आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों हेतु अनुसूचित जनजाति—20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति—16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग—14 प्रतिशत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)—10% सीट आरक्षित हैं।

Available Seats Distribution in different Degree/Diploma/Certificate Courses: 2024-25 Sessions
(Subject to M.P. state Gvt. /M.P. Paramedical Council Rules/Order)

S N	Name of the course	TOTAL SEAT	Unreserved 40%					EWS 10%					ST 20%					SC 16%					OBC 14%				
			OPEN	PWD (5%)	SAINIK (M.P.) (3%)	FF (3%)	IS (10%)	OPEN	PWD (5%)	SAINIK (M.P.) (3%)	FF (3%)	IS (10%)	OPEN	PWD (5%)	SAINIK (M.P.) (3%)	FF (3%)	IS (10%)	OPEN	PWD (5%)	SAINIK (M.P.) (3%)	FF (3%)	IS (10%)	OPEN	PWD (5%)	SAINIK (M.P.) (3%)	FF (3%)	IS (10%)
1	Bachelor in medical laboratory technician (BMLT)	20	7	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2	Diploma in medical laboratory technician (DMLT)	20	6	0	0	1	1	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0
3	Diploma optometrist & refractions	10	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Certificate Anaesthesia technician	10	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Certificate ortho technician	10	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	Certificate OT technician	10	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़े जा सकते हैं। सीटों की संख्या में सशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार हैं।

PWD- Person with disability (दिव्यांग), MP- Military Personnel (सैन्य कर्मी), FF- Freedom Fighter (स्वतंत्रता सेनानी), IS- In Service Candidate (शासकीय सेवा में कार्यरत संबंधित विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित) EWS- Economy weaker section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

- सीटों का आरक्षण / आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा। - आरक्षण का निर्धारण पाठ्यक्रमवार उपलब्ध कुल सीट्स की संख्या पर किया जाएगा।
- 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।
- तीन प्रतिशत (3%) सीट स्वतंत्रता सेनानी एवं तीन प्रतिशत (3%) सैनिक वर्ग के लिए आरक्षित होगी। यह आरक्षण क्षेत्रीय (हॉरिजोन्टल) होगा।
- दिव्यांग प्रवर्ग:- ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए पांच प्रतिशत (5%) सीट नियमानुसार आरक्षित है। यह आरक्षण क्षेत्रीय (हॉरिजोन्टल) होगा।
- नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीट आरक्षित है।

नोट:- दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश हेतु केवल निचले अंगों की विकलांगता में 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले आवेदक ही पात्र होंगे 50 से 70 (PWD-1) प्रतिशत की विकलांगता के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर 40 प्रतिशत से 50 (PWD-2) प्रतिशत के अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे एवं उन्हें अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम

में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की निम्नलिखित श्रेणियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी:- 1. हाथ की विकलांगता 2. अंधापन 3. बहरापन 4. पैरों की 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता।

C. प्रवेश हेतु पात्रता:-

- पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) - भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ वर्ष 2024 या उससे पूर्व उत्तीर्ण होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड उत्तीर्ण उम्मीदवार को अन्य छात्रों के समकक्ष माना जाएगा। वर्ष 2025 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 हेतु मान्य नहीं किये जाएंगे।
- पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी (Eligibility) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिये न्यूनतम 40% अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिये 33% अंक निर्धारित है।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लिए मध्यप्रदेश राज्य मूलनिवासी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा।
- मेडिकल फिटनेस: - मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
- आयु सीमा :- पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु विज्ञापन दिनांक अर्थात् 12 अगस्त 2025 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- गैप सर्टिफिकेट - यदि आवेदक ने वर्ष 2024 से पहले 12 वी कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे विधिवत नोटरी पेपर में गैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सभी मार्कशीट प्रमाण - पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों में उम्मीदवार का नाम एक सा होना चाहिए। यदि नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता हो तो उससे संबंधित वैध दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।
- नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों (IS) के पैरामेडिकल डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु नियम एवं दिशा निर्देश :-
 - विभागीय (शासकीय) कर्मचारियों हेतु - शासकीय कर्मचारियों को नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अबधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है, अर्थात् डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 06 वर्ष से अधिक की सेवा होना अनिवार्य है। उक्त कर्मचारी केवल द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु ही पात्र होंगे।
 - पाठ्यक्रम चयन हेतु कक्षा 12 वी के फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के प्राप्तांकों के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची मुख्य आधार होगी। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कार्यानुभव के आधार पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेगा। (अधिकतम 20 अंक)
 - मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार नियमित सेवारत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पैरामेडिकल कर्मचारियों को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। उक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक कार्यरत शासकीय कर्मचारी को प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अनुमति/स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।



सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पाठ्यक्रम उस कार्यरत शासकीय कर्मचारी के लिए तथा शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है।

- d) संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 748-51 रथा/अराज/2007 दिनांक 05/11/2007 के अनुसार यदि पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी जवाब देह होंगे।
- e) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं, ANM के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।
- f) संबंधित कर्मचारी का उक्त प्रशिक्षण के लिए चयन होने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
- g) सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु एक बार में अधिकतम 02 या 03 आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जावे, एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन पत्र भेजने में प्राथमिकता दी जावे।
- h) प्रशिक्षण उपरांत उक्त कर्मचारी शासन के प्रचलित विभागीय भर्ती पदोन्नति नियमों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।
- i) प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटन प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत ही संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- j) अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुमति प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी आवेदन प्रोफार्मा-1 प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मचारी हेतु) में बिन्दु क्रमांक 2 में यह दर्ज करें की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणिका के दिशा निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात ही सहमति प्रदान कर रहे हैं।
- k) सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय आवेदक विद्यार्थियों की तरह समस्त शुल्क देय होंगे एवं उनको भी अन्य आवेदकों की तरह सीट लीविंग बॉन्ड निष्पादित करना होगा।
- l) विभागीय शासकीय कर्मचारियों को (2 वर्षीय डिप्लोमा/1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स) -
 1. पाठ्यक्रम अवधि (Tenure) पूर्ण होने के पश्चात पुनः अपने मूल विभाग में Joining देना अनिवार्य हैं।
 2. विश्वविद्यालय परिषद की परीक्षा के पश्चात पुनः अपने मूल विभाग में Joining देना अनिवार्य हैं।
 3. विश्वविद्यालय परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात 03 माह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है जिसके उपरांत ही महाविद्यालय से Completion Certificate दिया जाएगा।

D. चयन प्रक्रिया :-

1. पाठ्यक्रम में चयन उच्च माध्यमिक 10+2 या समकक्ष में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्राप्त प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर होगा।
2. परंतु किसी पाठ्यक्रम के लिए विहित न्यूनतम अर्हता के आधार पर तैयार मेरिट सूची में अंकों की समानता की दशा में:-
 - (क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके उपरांत बायोलॉजी में अधिक अंक वाले एवं अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को क्रमशः प्राथमिकता दी जावेगी।
 - (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासी से भिन्न उम्मीदवारों को हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।





3. गैप प्रमाण पत्र, यदि कोई हो-यदि आवेदक ने वर्ष 2024 से पहले 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे विधिवत नोटरी पेपर में गैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संस्थान में काउंसलिंग के दौरान जमा किए जायेंगे और पाठ्यक्रम एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद (No Dues) बिना बकाया राशि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वापस किये जायेंगे। यदि उम्मीदवार पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पश्चात, बिना पाठ्यक्रम पूर्ण किए छोड़ता है तो उसे संस्थान को सीट लीविंग बंध (बांड) की राशि का भुगतान करना होगा।

E. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया :-

1. निर्धारित तिथि पर मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रम चयन/प्रवेश हेतु सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं।
2. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पृथक से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्था के नोटिस बोर्ड/चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcratlam.org पर प्रकाशित किये जाने वाले दिशा निर्देश/सूचना/मेरिट लिस्ट/प्रावीण्य सूची आदि का अवलोकन करते रहे एवं प्रवेश हेतु उक्तानुसार पालन करना सुनिश्चित करें।
3. पाठ्यक्रम चयन हेतु काउंसलिंग के दिन समस्त मूल प्रमाण-पत्रों तथा निर्धारित फीस के साथ संलग्न शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में नियत समय पर स्वयं उम्मीदवार को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) (नॉन रिफण्डेबल) काउंसलिंग की तिथि को जमा करवाना होगा। पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा देय होगा।
4. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित मूल दस्तावेज जमा करने होंगे-
 - a) हायर सेकेण्डरी कक्षा बारहवीं (10+2) की अंकसूची।
 - b) स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (टी.सी./एस.एल.सी.)।
 - c) जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि दर्शायी गई हो)
 - d) माइग्रेशन सर्टिफिकेट (बोर्ड/विश्वविद्यालय)
 - e) आधार कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - f) मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
 - g) यदि लागू हो तो निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण-पत्र प्रेषित करें-
 - सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में जारी जाति प्रमाण-पत्र।
 - अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र।
 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का अंतिम वित्तीय वर्ष का प्रमाण-पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी)
 - नियमित सेवारत विभागीय कर्मचारी (In Service) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुमति प्रमाण-पत्र (प्रोफॉर्मा-1)।
 - सैनिक प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में जारी (प्रोफॉर्मा-2 अ,ब,स जो भी लागू हो)।
 - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र (प्रोफॉर्मा-3)।

नोट :- सभी दस्तावेज दिए गए प्रोफॉर्मा में होना आवश्यक हैं। प्रोफॉर्मा इस निर्देशिका के अंत में संलग्न हैं।



h) माता/पिता/पालक/स्वयं का संयुक्त आय प्रमाण-पत्र राक्षम अधिकारी द्वारा जारी (अंतिम वित्तीय वर्ष का)

नोट :-

- अ. सर्टिफिकेट/मार्कशीट/अन्य दस्तावेजों में नाम भिन्न होने की स्थिति में संबंधित वैध दस्तावेज। समस्त मूल दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी पेन-ड्राइव में एवं दो सेट छायाप्रतियों में जमा करवाना अनिवार्य है।
- ब. प्रवेश के समय जमा किये गये समस्त मूल दस्तावेज आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त लेखा शाखा, पुस्तकालय, खेलकूद, होस्टल, प्रयोगशाला, एवं अन्य संबंधित विभागों आदि से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करने के उपरान्त ही लौटाये जावेंगे।
5. प्रवेश हेतु जारी प्रावीण्य सूची के अनुसार निर्धारित तिथियों पर काउन्सलिंग प्रक्रिया में आवेदक को प्रवेश समिति के समक्ष वरियता क्रमांक के अनुसार तत्समय उपलब्ध पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीट पर प्रवेश हेतु वांछित मूल दस्तावेज एवं निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क प्रवेश के दौरान ही जमा करवाने होंगे, अन्यथा आवेदक का प्रवेश सम्बन्धी अधिकार/दावा स्वयंमेव समाप्त हो जावेगा।
6. यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य उम्मीदवार नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है :-
 - i. एसटी श्रेणी की खाली सीटों को एससी श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
 - ii. एससी श्रेणी की खाली सीटों को पात्र एसटी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
 - iii. अगर एसटी और एससी श्रेणियों में आरक्षण के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा।
 - iv. यदि पात्र अभ्यर्थी उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में उपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीट को पात्र अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
 - v. EWS श्रेणी की रिक्त सीटों को, अनारक्षित श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जावेगा।
7. यदि PWD (दिव्यांग), MP (सैन्य कर्मी), FF (स्वतंत्रा सेनानी), IS (इन-सर्विस) श्रेणियों में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी खाली सीट को उस श्रेणी की खुली (ओपन)सीट में बदल दिया जाएगा।
8. एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार, जिनका नाम उनकी श्रेणी के मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ-साथ अनारक्षित सूची में भी दर्शाया गया है, उनके पास काउंसलिंग के दौरान विकल्प होगा कि वह उनकी अपनी श्रेणी अथवा अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश ले सकते हैं।
9. उम्मीदवार द्वारा काउंसलिंग में चयनित पाठ्यक्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित (बदलाव) नहीं किया जावेगा।
10. उम्मीदवार को काउंसलिंग में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



F. फीस संरचना :-

शुल्क का विवरण सत्र - 2024-25

म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ/5-14/18/1/55/चि.शि. भोपाल दिनांक 24 मई 2018 की कंडिका 02 के परिपालन में रजिस्ट्रार, म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद के पत्र क्रमांक-F-26/कॉलेज/2024-2025/1701/2025 भोपाल दिनांक 26-06-2025 के अनुसार :-

स्नातक पाठ्यक्रम बी.एम.एल.टी हेतु शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 85,940
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5000
	कुल योग रुपये	रुपये 93940/-

द्वितीय/तृतीय/अंतिम वर्ष के लिये देय शुल्क रु. 85,940/- होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 55,270
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5000
	कुल योग रुपये	रुपये 63,270/-

द्वितीय वर्ष के लिये देय शुल्क रु. 55,270/- होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

एकवर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुल्क

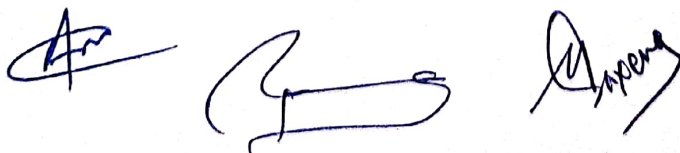
क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 39,910
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5000
	कुल योग रुपये	रुपये 47910/-

एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

नोट:- 1. सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् ही वापस लौटायी जावेगी।

2. प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारियों को भी पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।

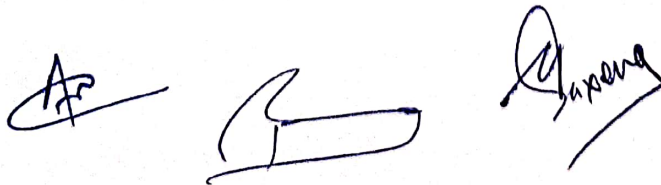
❖ पाठ्यक्रम शुल्क- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र कलेक्टर रतलाम, कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति शासन द्वारा देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने माता/पिता/पालक का संयुक्त आय प्रमाण पत्र एवं



आरक्षित श्रेणी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करना होगी एवं काउंसलिंग के समय मूल प्रतिलिपी प्रस्तुत करना होगी।

G. शुल्क के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु :-

1. समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का निर्धारित प्रथम वर्ष का शुल्क काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से पाठ्यक्रम चयन के समय (काउंसलिंग के दौरान) जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट **New Government Medical College Autonomus Society Ratlam** के नाम जो की **State Bank of India, Government Medical College Ratlam Branch IFSC Code – SBIN0061542** में देय होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत ही पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित होगा।
2. सीट लीविंग बॉन्ड :- डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शा.स्व. चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम के नाम, सीट लीविंग बॉन्ड संपूर्ण शिक्षण शुल्क के 0.5% के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर नोटरी करवाकर काउंसलिंग के दौरान जमा करवाना होगा, जिसकी राशि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क के बराबर रहेगी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि आवेदक यदि किसी भी कारणवश पाठ्यक्रम छोड़ता है/निष्काशित किया जाता है तो वह सीट लीविंग बॉन्ड राशि संस्था में जमा करवायेगा। सीट लीविंग बॉन्ड रतलाम न्यायिक का होना अनिवार्य हैं। उक्त सीट लीविंग बॉन्ड प्रवेश दिवस से प्रभावी माना जावेगा।
3. संस्था में समस्त पाठ्यक्रम स्व-वित्तीय आधार पर संचालित है, अतः समस्त श्रेणी के आवेदकों/इन-सर्विस कैंडिडेट्स को निर्धारित समस्त शिक्षण और अन्य शुल्कों का भुगतान प्रवेश के समय एवं तत्पश्चात निर्धारित तिथियों पर करना होगा, संस्था में जमा किये गए शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे।
4. आरक्षित श्रेणी:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र, आदिवासी कल्याण विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मप्र राज्य सरकार को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में शासन द्वारा जमा की जावेगी। पात्र छात्रों द्वारा निर्धारित समय में छात्रवृत्ति फार्म ना भरे जाने अथवा आवेदन निरस्त होने पर पाठ्यक्रम शुल्क छात्र को स्वयं वहन करना होगा।
5. छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले/समय-समय पर जारी नोटिसों में उल्लेखित/निर्धारित तिथियों के अनुसार शिक्षण और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छात्र निर्धारित समय में कॉलेज की फीस जमा करने में विफल रहते हैं, तो विलम्ब शुल्क रु. 20/- प्रति दिवस के हिसाब से देय होगा।
6. यदि विद्यार्थी को खराब आचरण, गैर-कानूनी/असामाजिक गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन एवं अन्य किसी कारणवश संस्था से निष्काशित किया जाता है अथवा विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छोड़ता है, तो संस्था में जमा किये गए किसी भी प्रकार के शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे एवं निर्धारित सीट लीविंग बॉन्ड राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
7. छात्रों को समय-समय पर कम्प्यूटर, स्टेशनरी, गेम्स, मैगजीन फीस आदि के लिए अन्य शुल्क लगाया जा सकता है।
8. छात्र के किसी भी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक/सप्लीमेंटरी परीक्षा में सम्मिलित होना होगा एवं विश्वविद्यालय को निर्धारित शुल्क जमा करवाने होंगे। छात्र के अनुत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम कि अवधि



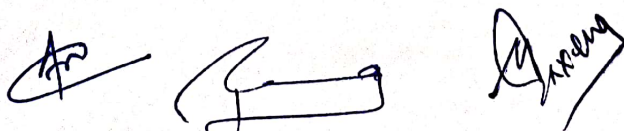
निर्धारित अवधि से अधिक हो जाने पर छात्र को परीक्षा शुल्क सहित विस्तारित अवधि के लिये निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा।

H. प्रवेश निरस्तीकरण नियम/प्रक्रिया :-

1. यदि यह पाया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार ने तथ्यों को छिपाकर/गलत दस्तावेज/अधूरी जानकारी के आधार पर संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है अथवा त्रुटिवश आवेदक को प्रवेश दे दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा अध्ययन अवधि के दौरान बिना किसी भी पूर्व सूचना के प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। उक्त संबंध में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. प्रवेश के पश्चात् संस्था द्वारा जारी की गई तारीख पर विद्यार्थी को सम्बन्धित विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से बिना किसी सूचना के लगातार 07 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका प्रवेश स्वतः रद्द माना जाएगा। अनुपस्थिति की इस अवधि को विद्यार्थी के किसी भी अवकाश से समायोजित नहीं किया जाएगा।
4. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है/ संस्थान परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के कदाचार में भाग लेता है / कक्षाओं में अनाधिकृत रूप से अनाचार करता है/ गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता है / रैगिंग आदि के लिए उत्तरदायी होता है तो संस्था प्रमुख के पास अधिकार है की छात्र-छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण वह अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संस्था से निष्कासन/प्रवेश निरस्त कर सकते हैं।
5. उम्मीदवार द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण :- यदि आवेदक/विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होकर निर्धारित शुल्क एवं मूल दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत/ पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है, तो उक्त सम्बन्ध में निर्धारित सीट लीविंग बॉन्ड की राशि (डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से), जमा करवाए गए शुल्क की रसीद की मूल प्रति के साथ मय शपथ पत्र के प्रवेश निरस्तीकरण हेतु आवेदन अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यापालन अधिकारी, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम को प्रस्तुत करना होगा। अधिष्ठाता महोदय के अनुमोदन उपरांत ही सम्बन्धित का प्रवेश निरस्त कर संस्था में प्रवेश के दौरान जमा किये गए मूल दस्तावेज सम्बन्धित/अधिकृत व्यक्ति को लौटाये जावेंगे।

I. दस्तावेजों का सत्यापन :-

प्रवेश के दौरान विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन की यदि आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित जारीकर्ता विभाग/ अधिकारी को प्रेषित कर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जावेगा, उक्त सत्यापन में व्यय होने वाली राशि विद्यार्थी द्वारा वहन की जावेगी।

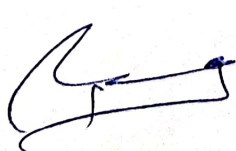


J. छात्रावास में रहने की सुविधा :-

वर्तमान में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

K. विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक नियम एवं आचरण संहिता :-

1. संस्था की गरिमा बनाये रखने हेतु समस्त विद्यार्थियों से अनुशासन, उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, अतः अनुशासित रहकर संस्था के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर / मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल / शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम द्वारा जारी समस्त नियम-नियमाकुल, पत्र-परिपत्र एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान समस्त सैद्धांतिक (थ्योरी), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स में निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य हैं, सैद्धांतिक (थ्योरी) कक्षाओं में 75% एवं प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कक्षाओं एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स में 80% उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें सैद्धांतिक, प्रायोगिक कक्षाओं एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स की उपस्थिति की गणना पृथक-पृथक की जावेगी। निर्धारित उपस्थिति के अभाव में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जिससे उसकी पाठ्यक्रम अवधि बढ़ जावेगी एवं आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क-प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विद्यार्थियों का आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा सकेगा।
4. विद्यार्थियों द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित उपस्थिति के सम्बन्ध में "जीरो टॉलरेंस नीति" का पालन करना होगा, उक्तानुसार यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति पर अभिभावकों को सूचित किया जावेगा, तदोपरांत भी विद्यार्थी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति की जाती है तो सम्बन्धित विद्यार्थी को संस्था, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित का नामांकन रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा।
5. अधिष्ठाता द्वारा निर्धारित उपस्थिति से 5 प्रतिशत तक कम उपस्थिति होने की दशा में परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु उपयुक्त एवं संतोषजनक कारण होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की जा सकेगी।
6. समय-समय पर विद्यार्थी एवं अभिभावक, विद्यार्थी की उपस्थिति एवं अध्ययन के सम्बन्ध में अवलोकन करते रहे।
7. कक्षा, लैब, विभाग एवं संस्था में डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों एवं डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नीला एप्रन (लैब कोट) पहनना अनिवार्य होगा।
8. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर/मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल में नामांकन हेतु स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) एवं माइग्रेशन (प्रवजन) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करवानी होगी, उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने के अभाव में विद्यार्थी का नामांकन नहीं हो सकेगा, जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
9. बी.एम.एल.टी एवं विभिन्न डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत क्रमशः 06 माह एवं 03 माह का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पूर्ण करना अनिवार्य है।
10. डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप पूर्ण करने के उपरांत ही सम्बन्धित को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किये





डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25)

जावेंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट जारी किये जावेंगे।

11. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी एवं सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य हैं।

सूचना :- प्रवेश नियमों और प्रक्रिया में संशोधन के सभी अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं, भवष्य में कोई भी किया गया परिवर्तन आवेदक के लिए लागू होगा। सभी प्रकार के न्यायिक मामलों में न्यायिक एवं परिवाद क्षेत्र रतलाम होगा।





डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25)

प्रोफार्मा-1

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र

(पैरामेडिकल पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु)

केवल नियमित विभागीय शासकीय कर्मचारी हेतु

1. श्री/श्रीमती पद नियुक्ति की दिनांक
एवं सेवानिवृत्त होने का दिनांक..... विभाग का नाम
को पैरामेडिकल द्वि-वर्षीय डिप्लोमा/एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सहमति दी जाती है।
2. उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणिका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात् सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

सील एवं मोबाईल नं.....

(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक)

नोट:- सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी विभाग के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है। उक्त स्वीकृति केवल पैरामेडिकल संवर्ग के कर्मचारियों को ही प्रदान किया जाना है। कर्मचारियों को पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् 03 माह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम एवं संबंधित चिकित्सालय से करना अनिवार्य होगा।





डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001
सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25)

प्रोफार्मा -2 (अ)

(अनुसूची-3 (12) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
मितेद्री पर्सन संवर्ग (एम.पी.) हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..... जो शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के सह चिकित्सीय (पैरामेडिकल) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री / कुमारी..... के पिता / माता हैं।

थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक हैं। सेवानिवृत्ति / सेवामुक्ति के समय वह..... पद पर थे/थी। उनका सर्विस क्रमांक..... था। सेवा के दौरान वह स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष..... में हो चुकी है। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

स्थान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

(कार्यालय सील)

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के सह-चिकित्सीय



डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (ग.प्र.) 457001

सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25)

प्रोफार्मा - 2 (ब)

(अनुसूची-3 (12) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत सैनिक

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....

जो शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री/कुमारी के पिता/माता हैं

अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत सैनिक हैं और मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

अथवा

ब- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत सैनिक हैं और वह मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

अथवा

स- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत सैनिक हैं। वह मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी नहीं हैं परन्तु मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में दिनांक..... से सेवारत हैं।

स्थान.....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग.....

दिनांक.....

(कार्यालय सील)



डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25)

प्रोफार्मा -2 (स)

(अनुसूची-3 (12) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में अधिवासित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम).....
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए
उम्मीदवार हैं, श्री/श्रीमती (पिता/माता).....के/की
पुत्र/पुत्री हैं, जो थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंपद,सर्विस क्रमांक.....के अधीन
सेवारत रहकर सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात्/उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके
परिवारजन(स्थान),तहसील.....जिला.....में अधिवासित हो गए हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)



डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25)

प्रोफार्मा - 3

(अनुसूची-3 (13) स्नातक पाठ्यक्रम हेतु)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....जो शासकीय
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के सह-चिकित्सीय ...पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी
श्री/कुमारी के पिता/माता हैं।

तथा

श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम).....
श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के पुत्र/पुत्री हैं।

तथा

श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश
के जिला (जिले का नाम) में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में
क्रमांक..... पर पंजीकृत हैं।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर
(जिला कलेक्टर/जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी)
कार्यालय की स्पष्ट मोहर



डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम (सत्र 2024-25)

प्रोफार्मा-4

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2024-25

अभिभावकों की आय का संयुक्त घोषणा - पत्र

(अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रा/छात्र के अभिभावकों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

मैं.....शपथपूर्वक घोषणा करता हू। कि मेरा व्यवसाय.....
.....है तथा मेरी वार्षिक आय रु.....
.....है तथा मेरी वार्षिक(शब्दों में रु.....
.....) प्रतिवर्ष है। मेरी पत्नी श्रीमती का
व्यवसायहै एवं वार्षिक आय रु
..... है।
हमारे परिवार कि कुल वार्षिक आय रुशब्दों में रु
.....है।

अथवा

- ☐ मेरी पत्नी साधारण गृहणी है अत उनकी कोई अतिरिक्त आय नहीं है।
- ☐ दोनों कि वार्षिक आय का सक्षम अधिकारी /नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।
- ☐ हम यह भी घोषणा करते है कि उपर्युक्त आय बाबत प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर हमारे पुत्र /पुत्री.....
..... का प्रवेश निरस्त करने का संस्था को पूर्ण अधिकार होगा।

- यदि उक्त त्रुटिपूर्ण आय प्रमाण पत्र के आधार पर हमारे पुत्र / पुत्री ने शिक्षण शुल्क/ स्कालरशिप/ रियायत प्राप्त कि होगी तो उक्त शिक्षण एवं अन्य शुल्क/ स्कालरशिप राशि का भुगतान संस्था को हमारे द्वारा किया जायेगा।

पिता के हस्ताक्षर.....

पूर्ण नाम.....

माता के हस्ताक्षर.....

पूर्ण नाम.....

जो लागू ना हो, उसे काट देवे।